

परिशिष्ट—ब

क्र.०	वर्ष	संस्थान का नाम	शिकायत कर्ता का नाम	शिकायत का कारण	स्थिति
1	2016	श्री सतगुरु सेवा संघ ट्रस्ट चित्रकूट	श्री राजेश मिश्रा	सेवा पृथक्कीकरण	अम न्यायालय मे विचाराधीन
2			श्री अमिताभ सिंह	सेवा पृथक्कीकरण	अम न्यायालय मे विचाराधीन
3			श्री सुरेश शुक्ल	सेवा पृथक्कीकरण	अम न्यायालय मे विचाराधीन
4			श्री राजकरण त्रिपाठी	सेवा पृथक्कीकरण	अम न्यायालय मे विचाराधीन
5			श्री दिलीप त्रिपाठी	सेवा पृथक्कीकरण	अम न्यायालय मे विचाराधीन
1	2017	श्री सतगुरु सेवा संघ ट्रस्ट चित्रकूट दीनदयाल शोध संस्थान अरोग्यधारा परिसर दृढ़ आश्रम चित्रकूट	श्री हरिनारायण द्विवेदी	सेवा पृथक्कीकरण	अम न्यायालय मे विचाराधीन
2			श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव	सेवा पृथक्कीकरण	अम न्यायालय मे विचाराधीन
3			श्री अजय कुमार गर्ग (सी० ए०० हेल्प लाइन)	सेवा पृथक्कीकरण	अम न्यायालय मे विचाराधीन
4			श्री रामजीत यादव	सेवा पृथक्कीकरण	अम न्यायालय मे विचाराधीन
5			श्री गिरिलेश पटेल	सेवा पृथक्कीकरण	अम न्यायालय मे विचाराधीन
1	2018	श्री सतगुरु सेवा संघ ट्रस्ट चित्रकूट	श्री मनोज उपाध्याय	सेवा पृथक्कीकरण	अम न्यायालय मे विचाराधीन
2			श्री विष्णुकान्त प्यासी	सेवा पृथक्कीकरण	अम न्यायालय मे विचाराधीन
1	2019	निरक्	निरक्	निरक्	निरक्

अनुग्रह अधिकारी
नियन्त्रक दायरा,
श्री विभाग (शाहज. १)
चंगलाल, झोपाल

सहायक श्रमायुक्त
रीवा रामाय शाहना

अनुसूचित मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत अनुसूचित नियोजन जिनमें
न्यूनतम चेतान प्रभावशील हैं—

भाग—एक
अनुसूचित नियोजन

1. किसी कपास जिनीग एवं प्रोसेसिंग कारखाने में नियोजन
2. किसी वन लगाने तथा वन संपर्क में नियोजन
3. किसी भार्गो के निर्माण या सम्भाल या बदल निर्माण कार्य में नियोजन
4. किसी लोक भौटर परिवहन में नियोजन
5. किसी इंजीनियरिंग उद्योग में नियोजन
6. किसी सिंधाई कार्यों के निर्माण तथा संधारण में नियोजन
7. किसी केमिकल तथा फार्मास्युटिकल्स में नियोजन
8. किसी आरा मिल में नियोजन
9. किसी तेल मिल में नियोजन
10. किसी धावल मिल या छाटा मिल या दाल मिल में नियोजन
11. किसी मुरी पोहा निर्माणी में नियोजन
12. किसी खाद्य पदार्थ में जिसमें केक, विस्किट्स, कन्फेक्शनरी, आईस्क्रीम, आईसकैंडी सम्मिलित है, के निर्माण में नियोजन
13. किसी पत्थर तौड़ने या पत्थर पीसने के कार्य में नियोजन
14. किसी धूपगन याणिज्यिक संस्थान, आवासीय होटल, रेस्टरेंट तथा नाट्यगृह में नियोजन
15. किसी मुद्रणालय में नियोजन
16. किसी सीमेंट पोल अथवा सिमेंट से निर्मित उत्पाद में नियोजन
17. किसी प्लास्टिक उद्योग में नियोजन
18. किसी फ्यूरल कोक में नियोजन
19. किसी चूना भट्टे में नियोजन
20. किसी ईट भट्टे में नियोजन
21. किसी पावर लूम / जिसमें सायंजिंग एवं प्रोसेसिंग भी सम्मिलित है / में नियोजन
22. किसी स्थानीय प्राथिकरण में नियोजन
23. किसी कोसा सद्धोग में नियोजन
24. किसी खाड़सारी उद्योग में नियोजन
25. किसी पाटरीज जिसमें रिफेक्चरी सामान, फायरफ्रेक्स, रोमिटी वेवर, इन्सुलेट्स, टाइल्स, (सिमेंट से निर्मित टाइल्स को छोड़कर) स्टोन वेवर पाईप्स, फरनेस, लाईनिंग ब्रिक्स तथा अन्य सीरेमिक्स सामान सम्मिलित हैं, में नियोजन
26. किसी कम्बल निर्माण कार्य में नियोजन
27. किसी स्लोट, पैसिल निर्माण शाला में नियोजन
28. किसी कथ्य उद्योग में नियोजन
29. किसी रामरज गोरु के निर्माण में नियोजन
30. किसी हथकरघा उद्योग में नियोजन
31. किसी बोनमिल में नियोजन
32. किसी टाइल्स, जिसमें ऐंगलोर टाइल्स, अलाहाबाद टाइल्स तथा अन्य स्थानीय नाम में प्रचलित टाइल्स सम्मिलित है, परन्तु सीमेंट से निर्मित टाइल्स सम्मिलित नहीं है, के निर्माण में नियोजन
33. किसी विनिर्माण प्रक्रिया जिसमें विनिर्माण प्रक्रिया जो कि कारखाना अधि. 1948 की धारा दो (क) में परिभासित की गई है। चलाई जाती है। जो अनुसूची में दी गई किसी अन्य प्रक्रिया के अन्तर्गत नहीं आती है, में नियोजन

अनुआय अधिकारी
नियमप्रबोधन बालबन,
श्रम विभाग (प्राज्ञ ८)
नंगालय, जोधपुर

34. किसी प्रायवेट अस्पताल जिसमें परामर्श केन्द्र तथा परीक्षण केन्द्र विकृति विभान, (पेथोलाजिकल प्रयोगशाला) समिलित है, में नियोजन
35. किसी प्रायवेट शैक्षणिक संस्था, जिसमें कोचिंग केन्द्र भी समिलित है, में नियोजन
36. किसी तैयार किये गये (रेडीमेड) वस्त्र विनिर्माण में नियोजन
37. किसी खदान लैसे कंकड़, मुर्छा, लेट्राइट, बॉल्डर, प्रावेल शिंगल, सालाहन रेती, विल्डग स्टोन, रोड मेटल, अर्थ पुलसे अर्थ और लाइम स्टोन तथा अन्य खदान जो खान अधिनियम की धारा 3 के अधीन छूट प्राप्त हैं, में नियोजन
38. किसी आटोमोबाइल्स कर्नशाला एवं मरम्मत हेतु संचालित गैरेजों में नियोजन।
39. किसी बैकरी में नियोजन
40. किसी बॉल्ड स्टोरेज (शीतागृह) में नियोजन
41. किसी दूकान तथा वाणिज्यिक स्थापना में नियोजन
42. किसी हाईटल, रेस्टोरेंट या भोजनालय में नियोजन
43. किसी रिमेंडरगृही या थिएटरों में नियोजन
44. किसी कंसल में नियोजन
45. किसी आसवनी या किसी अल्कोहलयुक्त पेय निर्माण में नियोजन
46. किसी अधिवक्ता या अटंनी के कार्यालय में नियोजन
47. किसी हैंपर कटिंग सेल्यून और घूटी पार्लर में नियोजन
48. किसी उधरक और पेस्टीसाईंड-इस (कीटनाशक दवा) के विनिर्माण में नियोजन
49. किसी झीलिंग प्रशालन और दमुबबेल के अनुप्राण में नियोजन
50. किसी इलेक्ट्रोनिक्स या सहबद्ध कार्य में नियोजन
51. किसी पेट्रोल या डीजल पम्पों में नियोजन
52. मिट्टी के किसी खुदाई कार्य में नियोजन
53. किसी सोने और चाँदी की वस्तुओं के विनिर्माण में नियोजन
54. किसी आटो रिक्शा और टेक्सी चलाने के कार्य में नियोजन
55. किसी विषयान सोसायटीयों, उपभोक्ता कोऑपरेटिव सोसायटी और सहकारी बैंक (को-ऑपरेटिव बैंक) में नियोजन
56. किसी होजयरी में नियोजन
57. किसी साबून निर्माण (जिसमें डिटर्जेंट भी समिलित है) में नियोजन
58. किसी डेपर्टमेंट और दूध से उत्पादित वस्तुओं में नियोजन
59. किसी खिलोना निर्माण, जिसमें कपड़े से निर्मित खिलोने भी समिलित है, में नियोजन
60. किसी सुखाकारी कार्य तथा डिटेक्टिव सेवाओं में नियोजन
61. किसी कारियर तथा घेर सरकारी डाक सेवाओं में नियोजन
62. किसी छाटा प्रोसेसिंग कार्य में नियोजन
63. किसी अधार, बड़ी, प्रापड़ तथा ऐसे ही खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण में नियोजन
64. दवाईयों एवं अन्य वस्तुओं के विक्रय संवर्धन कार्य में नियोजन
65. किसी सफाई कार्य में नियोजन
66. किसी पुरातात्त्विक कार्य में नियोजन
67. किसी सूचना प्रौद्योगिकी कार्य में नियोजन
68. तम्बाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी समिलित है) विनिर्माण में नियोजन
69. किसी अगरबत्ती उद्योग में नियोजन।

भाग—दो

1. कृषि में नियोजन

अनुप्राण अधिकारी
उत्तरप्रदेश कारबाह
कर्तव्य विभाग (प्रक्रिया)
तमाचार, गोपालगढ़